212

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर, केम्प जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक /अ–12/2010–11

R-1154-I/12

जय कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड
द्वारा अध्यक्ष सीमा नरूला निवासी– 18 नया बाजार
जबलपुर – आवेदक

विरूद्ध

अनुसूचित जाति जन जाति आवासीय गृह निर्माण
सहकारी समिति द्वारा अध्यक्ष श्रीमति सुधा रसिक
निवासी– भीम नगर, जबलपुर – अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक न्यायालय श्री तहसीलदार नजूल संभाग गोरखपुर–2 जबलपुर द्वारा प्र.क्रं. 44/अ–12/2010–2011 पक्षकार अनुसूचित जाति जन जाति आवासीय गृह निर्माण सहकारी समिति विरूद्ध जय कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–04–2012 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तर्को एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका उचित न्यायिक निराकरण हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है :–

विचारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यह कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार गोरखपुर द्वारा रा.प्र.क्रं. 76/बी–121/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 08–05–2009 से व्यथित होकर पुनरीक्षण याचिका अपर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । उक्त प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पर अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा दिनांक 28–04–2010 को विचारण न्यायालय तहसीलदार गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वे अनुसूचित जाति जन जाति आवासीय गृह निर्माण सहकारी समिति क्षत्रिय तिरले कुनबी समाज एवं जय कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड के द्वारा क्रयशुदा संपूर्ण भूमि के खसरे एवं नक्शे की जांच राजस्व अभिलेख के अनुसार करें तथा अधीक्षक

....2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1154-एक/12 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25 /02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के. पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला जबलपुर**	